

चंडीगढ़, 21 अक्टूबर (I जैसी) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच I जैसी :I नआईI के I कयाचकि पर समझौता वसिफोट मामले के आरोपी असीमानंद के नोटिस जारी किया हैI I नआईI के I कवशेष अदालत ने 17 अगस्त के दिI अपने आदेश में कहा था कि समझौता I क्स्प्रेस वसिफोट स्थल से मलिे नमूनों के अजमेर, हैदराबाद और मालेगांव वसिफोट स्थल से मलिे नमूनों से मलियाया जाI I इस फैसले के खलिाफ असीमानंद ने यह कहते हुI अदालत में याचकि दायर की थी कि नमूने मलियाने के नाम पर I नआईI उसे अपने शकिंजे में लेना चाहती है I अदालत ने वशिेष अदालत के फैसले के कयम रखते हुI आदेश दिया था कि नमूनों के असीमानंद के वकीलों के मौजूदगी में मलियाया जाI I आज दायर याचकि में I नआईI ने अदालत के बताया कि उच्च न्यायालय के 20 और 21 सतिंबर के दिI फैसले के बाद सीI फI सI ल क I कदल असीमानंद के वकीलों के साथ पंचकुला के I नआईI शविरि पहुंचा, पर सीI फI सI ल केदल ने नमूनों की सील नहीं खोली I याचकि में तर्कदिया गया है कि आपराधिकदंड संहतिा और I नआईI अधनियिम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जसिकेतहत नमूने मलियाने की प्रक्रिया के दौरान बचाव पक्क के वकील वहां मौजूद रहें और इसलिाI यह फैसला कनून के मुताबकि नहीं है I